भारत सरकार
जल शक्ति मंत्रालय
पेयजल एवं स्वच्छता विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 812
दिनांक 04.12.2025 को उत्तर दिए जाने के लिए

कासरगोड के सीमावर्ती गांवों में पेयजल की कमी

†812. श्री राजमोहन उन्नीथनः

क्या **जल शक्ति** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः
(क) क्या सरकार ने कासरगोड की सीमावर्ती एवं पर्वतीय पंचायतों में पेयजल की लगातार कमी का आकलन किया है और यदि हों, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
(ख) स्रोत संवर्धन एवं पाइपलाइन विस्तार हेतु जल जीवन मिशन के अंतर्गत स्वीकृत विशिष्ट परियोजनाओं का ब्यौरा क्या है; और
(ग) उक्त उद्देश्य हेतु आवंटित धनराशि और सभी के लिए घरेलू नल कनेक्शन कवरेज प्राप्त करने की अपेक्षित समय-सीमा क्या है?

उत्तर

राज्य मंत्री, जल शक्ति
(श्री वी. सोमण्णा)

(क) से (ग): भारत सरकार अगस्त 2019 से, राज्यों की भागीदारी से केरल के कासरगोड जिले की सीमावर्ती और पहाड़ी पंचायतों के गांवों सहित देश भर के सभी गांवों में प्रत्येक ग्रामीण परिवार हेतु नल जल आपूर्ति का प्रावधान करने के लिए केंद्र प्रायोजित योजना जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल का कार्यान्वयन कर रही है।

मिशन की शुरुआत में, केवल 3.23 करोड़ (16.7%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 02.12.2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत लगभग 12.52 करोड़ और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 02.12.2025 तक, देश के 19.36 करोड़ ग्रामीण परिवारों में से 15.75 करोड़ (81.37%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

इसी तरह, मिशन की शुरुआत में, केरल के कासरगोड जिले में केवल 0.39 लाख (15%) ग्रामीण परिवारों के पास नल जल कनेक्शन होने की सूचना थी। अब तक, राज्य द्वारा सूचित किए गए अनुसार, 02.12.2025 तक, जल जीवन मिशन (जेजेएम) - हर घर जल के तहत 0.45 लाख से अधिक और ग्रामीण परिवारों को नल जल कनेक्शन प्रदान किए गए हैं। इस प्रकार, 02.12.2025 तक, जिले के 2.54 लाख ग्रामीण परिवारों में से 0.84 लाख (33%) से अधिक परिवारों के पास उनके घरों में नल जल आपूर्ति होने की सूचना है।

पेयजल राज्य का विषय होने के कारण, पेयजल आपूर्ति स्कीमों की आयोजना, डिजाइन, अनुमोदन और कार्यान्वयन राज्य ही करते हैं। भारत सरकार तकनीकी और वित्तीय सहायता प्रदान करके राज्यों के प्रयासों में सहायता प्रदान करती है। परिकल्पित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए राज्यों में विभिन्न स्तरों पर समवर्ती रूप से कई परियोजनाएं कार्यान्वित की जाती हैं। इस प्रकार, *स्रोत संवर्धन और पाइपलाइन विस्तार सहित* ग्रामीण जल आपूर्ति परियोजनाओं के लिए अलग-अलग परियोजनाओं/स्कीमों की *आबंटित निधि और उनका कार्य पूरा होने की समय-सीमा सहित* परियोजना-वार ब्यौरा राज्य सरकार के स्तर पर रखा जाता है।

मिशन का अनुमानित परिव्यय 3.60 लाख करोड़ रुपये था, जिसमें से केंद्र का हिस्सा 2.08 लाख करोड़ रुपये था। मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदित लगभग पूरा केंद्रीय हिस्सा पात्र राज्यों को जारी कर दिया गया है। अब तक हासिल की गई प्रगति और चल रहे कार्यों को ध्यान में रखते हुए, माननीय वित्त मंत्री ने अपने बजट भाषण 2025-26 के दौरान जल जीवन मिशन को संवर्धित कुल परिव्यय के साथ 2028 तक बढ़ाने की घोषणा की है।

*****